

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक: 04 दिसम्बर, 2021

विषय:- ई- प्रोक्योरमेंट हेतु अधिप्राप्ति शिकायत क्रियाविधि पोर्टल (Procurement Grievance Mechanism Portal) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के प्रोक्योरमेंट हेतु जो ई-निविदायें प्रस्तुत होती हैं, उनके संदर्भ में कतिपय विसंगतियाँ/त्रुटियाँ होने की शिकायत दर्ज होने पर उनके निवारण हेतु वर्तमान में कोई ऑनलाईन व्यवस्था नहीं है। प्रोक्योरमेंट में और अधिक पारदर्शिता के उद्देश्य से वर्तमान में विश्व बैंक सहायित UKPFMS परियोजना के अन्तर्गत प्रोक्योरमेंट समाधान पोर्टल लांच किया जा रहा है, जिसका वेब लिंक <http://pgrm.uk.gov.in> है। इस पोर्टल का उपयोग राज्य के उन सभी विभागों/प्रतिष्ठानों को करना अनिवार्य होगा, जिन पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली लागू है। इसके अतिरिक्त वाह्य सहायित परियोजनाओं (EAP)/भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले प्रोक्योरमेंट भी इस व्यवस्था के अन्तर्गत आच्छादित होंगे। सभी प्रकार की ई-निविदायें जिनका संभावित मूल्य ₹0 1.00 करोड़ (₹0 एक करोड़) या अधिक है, में उसकी प्रविष्टि अनिवार्य रूप से इस पोर्टल में की जायेगी। इस पोर्टल के उपयोग व इसमें प्रविष्टियों का अंकन किये जाने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

1. ई-निविदा प्रकाशित करने वाले सभी सरकारी/अन्य संस्थाओं के सक्षम प्राधिकारी को सर्वप्रथम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रारम्भ में प्रत्येक विभागाध्यक्ष को login दिया जायेगा, जिसके आधार पर वह अपने अधीनस्थ user create कर सकता है। रजिस्ट्रेशन हेतु उसे ई-मेल अंकित करना होगा एवं यथानिर्दिष्ट प्रविष्टियों का अंकन पोर्टल में करना होगा।
2. जब कभी किसी विभागीय अधिकारी द्वारा कोई ऐसी ई-निविदा, जिसका अनुमानित मूल्य ₹0 1.00 करोड़ (₹0 एक करोड़) या उससे अधिक हो, ई-निविदा पोर्टल पर प्रकाशित की जायेगी तो उसके द्वारा सम्बन्धित निविदा का आवश्यक विवरण अनिवार्य रूप से इस पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा। इससे सम्बन्धित ई-निविदा की निविदा आईडी एवं अन्य विवरण पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेंगी।
3. शिकायत/सुझाव दर्ज करने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसे विभाग का नाम एवं निविदा की आईडी का अंकन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने पर उसके मेल पर एक लिंक आयेगा, जिसे क्लिक करने पर ही वह रजिस्ट्रेशन कर सकता है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् उस व्यक्ति के सामने शिकायत/सुझाव अंकित करने हेतु स्क्रीन खुलेगी, जिस पर वह निविदा के तकनीकी/वित्तीय पक्षों पर अपनी शिकायत/सुझाव का अंकन करेगा, जो अधिकतम 500 शब्द का हो सकेगा। इसको पूर्ण करने के पश्चात् पोर्टल पर submit किया जायेगा। शिकायत के पोर्टल पर submit होते ही निविदा आमंत्रित करने वाले

27/12/22
706/44280/22
27/12/22

शिकायत/सुझाव पोर्टल में अंकित नहीं हो सकेगी। अनुबन्ध की प्रति पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

11. इस प्रक्रिया का MIS भी यथावश्यक रखा जायेगा।
12. प्रारम्भ में यह पोर्टल ITDA के सर्वर पर Host किया जायेगा। कालान्तर में राज्य सरकार के प्रोक्योरमेंट का परिवर्तित पोर्टल तैयार होने पर उसी पोर्टल में एक लिंक के द्वारा इस पोर्टल को समाहित किया जायेगा।
13. परियोजना अवधि समाप्त होने के उपरान्त पोर्टल का रख-रखाव निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के अधिष्ठान में ई-प्रोक्योरमेंट सेल द्वारा किया जायेगा।
3. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या— (1)/XXVII(7)/32(01)/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
'प्रकीर्ण वर्ग', देहरादून।



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-cepwdua@gmail.com,

पत्रांक- २५ / 44अधिप्राप्ति / 2022

दिनांक- ०२/०८/२०२२

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय / रा०मा० / ए०डी०बी०
लो०नि०वि०,
देहरादून / हल्द्वानी / पौड़ी / अल्मोड़ा।

विषय- ई-प्रोक्योरमेंट हेतु अधिप्राप्ति शिकायत क्रियाविधि पोर्टल(Procurement Grievance Mechanism Portal) के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-11/XXX.III(7)/32(01)/ 2021 दिनांक-04.01.2022 की छायाप्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि विषयगत प्रकरण पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासकीय पत्र की प्रति अपने स्तर से अधीनस्थ वृत्तीय/खण्डीय कार्यालयों को भी उचित कार्यवाही किये जाने हेतु प्रसारित करते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- पत्रानुसार।

(इ० अशोक कुमार)
मुख्य अभियन्ता नियोजन

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो०नि०वि०, देहरादून उत्तराखण्ड के अवलोकनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता गुणवत्ता निंत्रयक विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि० देहरादून।
3. समस्त वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि० देहरादून।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि० देहरादून।
5. अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०सैल विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि० देहरादून को उक्त शासकीय पत्र व इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता नियोजन